संख्या– 459/ix /170/2008

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग,
वी0आई0पी0 हैंगर, जौलीग्राण्ड एयरपोर्ट,
देहरादून, उत्तराखण्ड ।

परिवहन एवं नागरिक उडडयन अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 02 जनवरी, 2009

विषयः– जनपद देहरादून के सहस्त्रधारा बाई पास रोड पर हेलीपैड एवं हैंगर परिसर में वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु प्राप्त आगणन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय

उपरोक्त विषयक परियोजना प्रबंधक, (निर्माण इकाई) उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के पत्र संख्या–1517/531/47 दिनांक 20 सितम्बर 2008 की प्रतिलिपि (आगणन की प्रति सहित) संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि, जनपद देहरादून में सहस्त्रधारा बाई पास रोड पर हेलीपैड व हैंगर परिसर में प्रसाधनिक सुविधा सहित दो कक्षीय वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस/सिक्योरिटी/लॉबी रूम के निर्माण हेतु गठित रू0 16.41 लाख(रू0 सोलह लाख इकतालीस हजार मात्र) के आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 16.35 लाख (रू. सोलह लाख पैंतीस हजार) की लागत के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में इतनी ही धनराशि को पूर्व में आपके नियंत्रण पर रखी गई धनराशि में से व्यय की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– उक्त धनराशि के आहरण की अलग से स्वीकृति प्रदान नही की जा रही है बल्कि इस धनराशि के व्यय हेतु आहरण शासनादेश संख्या–252/77/ix/2008/सा0ना0उ0 दिनांक 22 मई 2008 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि से ही किया जायेगा। इसकी पृथक से व्यय की स्वीकृति नही दी जा रही है।

2– उक्त धनराशि परियोजना प्रबंधक (निर्माण इकाई) उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, इन्दिरा नगर देहरादून को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार चैक के माध्यम से किया जायेगा।

3– निर्माण कार्य कराते समय नियमानुसार उत्तराखण्ड अभिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन किया जायेगा। निर्माण एजेन्सी से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश सं0–475/XXVII (7)/2008, दि0 12.12.08 की व्यवस्थानुसार मानक एम0ओ0यू0 निष्पादित कर लिया जायेगा।

4– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

क्रमशः.....

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृति की गयी है।

6– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्येनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान मे रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

10– मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/xiv–291(2006) दिनांक 30–5–6 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का काष्ट करें।

11– जी0पी0डब्लू फर्म–09 की शर्तो के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण ईकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

12– इस सम्बन्ध में व्यय विवरण तथा आवश्यक वाउचर आदि सुरक्षित रखे जायेगें।

13– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम निर्देशों तथा अस्थाई आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में कदापि व्यय न किया जाय।

15– धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16– स्वीकृति की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–09 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा यदि दिनांक 31–3–09 तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

17– कार्य के निर्माण के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 5–4–04 का अनुपालन किया जायेगा।

18– कार्य अनुमोदित आगणन की सीमान्तर्गत ही करायें, किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणन /अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी।

19– कार्यदायी संस्था/ईकाई द्वारा निर्दिष्ट मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मद को परिवर्तित नही किया जायेगा।

20– कार्यदायी संस्था को आवंटित कार्य को निश्चित समय सीमा में पूर्ण कराया जाना होगा कार्य की गुणवत्ता में कमी, कार्यो में शिथिलता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण ईकाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय–02विमानपत्तन–00–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–04हवाई पट्टी का सुदृढीकरण एवं अन्य सम्बद्व निर्माण कार्य–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–842/XXVii(2)/2008 दिनांक 12 जनवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

संख्या–459/IX /170/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड (आडिट) वैभव पैलेस सी–1/105 इन्दिरानगर देहरादून।
2– महालेखाकार (ए एण्ड ई) उत्तराखण्ड (ए एण्ड ई) ओबेराय, मोटर्स, बिल्डिंग सहारनपुर रोड माजरा देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल, मण्डल, ।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
6– जिलाधिकारी, देहरादून।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– प्रबंध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।
9– परियोजना प्रबंधक, कार्यालय–परियोजना प्रबंधक निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, इन्दिरा नगर देहरादून
10– वित्त अनुभाग–2
11 गार्ड फाईल।
12– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।